उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

शुक्रवार, 26 बैशाख, शक संवत्, 1930

(दिनांक : 16 मई, 2008)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. दिनांक 12 मई, 2008 के उपवेशन के दौरान सदन में घटित घटना के संबंध में विचार।

2. मुख्यमंत्री, लेखा-परीक्षा अधिनियम, 1984 की धारा 8(3) के अन्तर्गत वर्ष 2006-07 का स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं वर्ष 2006-07 का सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें लेखा परीक्षा प्रभाग का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे।

3. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

4. श्री प्रेमानन्द महाजन, सदस्य, विधान सभा, "जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कूल्हा, का उच्चीकरण एवं पद सृजित करने के संबंध में" श्री लीलाधर जोशी एवं अन्य निवासीगण, कूल्हा, पोस्ट मजरा आनन्द सिंह, जनपद ऊधम सिंह नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

5. श्री प्रेमानन्द महाजन, सदस्य, विधान सभा, "जनपद ऊधम सिंह नगर के ग्राम पंचायत कोपा विकास खण्ड गदरपुर में जूनियर हाईस्कूल की स्थापना के संबंध में" श्री गोविन्द सिंह एवं अन्य निवासीगण, कोपा कृपाली, पोस्ट गूलरभोज, जनपद ऊधम सिंह नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

6. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

7. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

8. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

9. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

(कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-**"क"**)

10. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2008 जैसा प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित किया गया पर विचार किया जाय। (2 घंटे)

11. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2008 जैसा प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित किया गया पारित किया जाय।

12. पंचायती राज मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 के पुनः संशोधित रूप पर विचार किया जाय। (15 मिनट)

13. पंचायती राज मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 के पुनः संशोधित रूप में पारित किया जाय।

14. श्री हरभजन सिंह चीमा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-105 के अन्तर्गत दिनांक 17 मार्च, 2008 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी (1 घंटा) :-

"राज्य के विकेन्द्रीकृत विकास में सुधार के लिये राज्य की प्रशासनिक इकाईयों का पुनः परिसीमन कराया जाए।"

आज्ञा से,

देहरादून :
दिनांक : 16 मई, 2008

(महेश चन्द्र)
सचिव।

नत्थी-"क"

कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 16 मई, 2008 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की हैः-

मई, 2008

16 शुक्रवार

1. दिनांक 12 मई, 2008 के उपवेशन के दौरान सदन में घटित घटना के संबंध में विचार।

2. **विधायी कार्य**

   1. उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2008, जैसा प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित किया गया के विचार एवं पारण। **(दो घण्टा)**
   2. उत्तराखण्ड पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 के पुनः संशोधित रूप के विचार एवं पारण। **(पन्द्रह मिनट)**
   3. श्री हरभजन सिंह चीमा, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2008 को प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर चर्चा हेतु तिथि निर्धारण पर विचारः-

      "राज्य के विकेन्द्रीकृत विकास में सुधार के लिये राज्य की प्रशासनिक इकाईयों का पुनः परिसीमन कराया जाए।" **(एक घंटा)**